बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
(नगरपालिका प्रशासन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या–10 / न0प्र0नि0–23 / 2021– / बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 9.10 में यह प्रावधान है कि मौजूदा अनाधिकृत मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन नियमावली के जारी होने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिस अवधि के बाद इस मामले को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। नियत समय के भीतर आवेदन जमा होने के बाद, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवेदन के निपटान तक मोबाइल टॉवर अथवा ओ.एफ.सी. का संचालन बंद नहीं किया जाएगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी भी अनाधिकृत मोबाइल टावरों या ओ.एफ.सी. की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसकी अपील सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकती है।

2. उक्त नियमावली के अधिसूचना निर्गत की तिथि 19.08.2020 है, जिसके छह महीने के बाद की तिथि 19.02.2021 को समाप्त हो गई। तदोपरांत विभिन्न टेलिकॉम कम्पनियों के अनुरोध के आलोक में कोरोना संक्रमण के क्रम में लागू लॉक डाउन के कारण आवेदन समर्पित करने में मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनी के कठिनाइयों के फलस्वरूप बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 9.10 में निर्धारित छह माह की अवधि को दिनांक 19.02.2021 से अगले छह माह तक अर्थात् 19.08.2021 तक विभागीय अधिसूचना संख्या 1401 दिनांक 19.03.2021 द्वारा विस्तारित किया गया था।

3. कोरोना संक्रमण का पुनः प्रभाव के आलोक में राज्य में घोषित लॉकडाउन के परिस्थितिजन्य कारणों से विभिन्न टेलिकॉम कम्पनियों को विस्तारित अवधि में भी ऑनलाईन आवेदन में कठिनाई के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या 3221 दिनांक 27.10.2021 द्वारा तीन माह अर्थात् 19.11.2021 तक विस्तारित किया गया।

4. उक्त विस्तारित अवधि में कई टेलिकॉम कम्पनियों द्वारा कतिपय कारणों से ऑनलाईन आवेदन में असमर्थ रहने एवं विगत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का प्रभाव को देखते हुए ऑनलाईन आवेदन हेतु तिथि विस्तारित किये जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त बिहार मोबाईल टॉवर, आप्टिकल फाइबर केबल्स और संबंधित दूरसंचार अवसंरचना नियमावली, 2020 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियमावली के नियम 9.10 में निर्धारित एवं विस्तारित 19.11.2021 की अवधि को अगले चार माह अर्थात् 19.03.2022 तक विस्तारित किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(राम सेवक प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10 / न0प्र0नि0–23 / 2021– **/ न0प्र0नि0, पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–10/न0प्र0नि0–23/2021– 471 /न0प्र0नि0, पटना, दिनांक– 18/02/22

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकार, बिहार/भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधीकरण, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/बिहार शहरी विकास अभिकरण/नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18.02.2022

सरकार के अवर सचिव।